संविधानसभा निर्वाचन के लिए

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल का

Tilak Pathak

घोषणापत्र-२०६४

(चुनाव चिन्ह : हाथ में जलता मशाल)

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल
केन्द्रीय कार्यालय, वीरगंज
काठमाण्डू फोन नं. ०५१-५२५३७७

आदरणीय, महिला तथा सज्जनवृन्द !

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल का घोषणापत्र जारी करते हुये इस समय हम महान् मधेशी आन्दोलन के दौरान अपनी वलिदान देनेवाले सम्पूर्ण वीर मधेशी शहीदों का श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं । ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन के क्रम में आजतक अंगभंग होने वाले, घायल हुये, गिरफ्तारी में यातना सहने वाले, धन-जन की क्षति सहने वाले तथा किसी भी प्रकार से आन्दोलन में सहयोग करने वाले सवों का उच्च मूल्यांकन करते हुये हार्दिक सम्मान करते हैं । हम उन अग्रजों के प्रति भी नतमस्तक हैं, जिन्होंने नेपाल में मधेशियों द्वारा सहते आये विभेदों के विरुद्ध अतीत में मधेशी समुदाय को जगाते हुये विभिन्न आन्दोलनों का नेतृत्व किया । मधेश आन्दोलन में उनलोगों का योगदान अविस्मरणीय है । देश के लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा उस आन्दोलन के मूल मर्म को पूरा करते हुये मधेश आन्दोलन में सहयोग देने वाले देश के सम्पूर्ण नागरिक प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते है ।

विगत में मधेश आन्दोलन के दौरान पूरी ईमान्दारी और बलिदान की भावना के साथ लगने वाले मधेशी जनअधिकार फोरम के सभी स्तर के नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यों का भी अभिवादन करते हैं । संयुक्त मधेशी मोर्चा तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा से आवद्व सभी दल तथा उन दलों के नेता एवं कार्यकर्ता साथियों के प्रति भी सम्मान प्रकट करते हैं ।

हमारा सँकल्पः- नेपाली जनता द्वारा वि.सं.२०६२।६३ के लोकतान्त्रिक आन्दोलन और वि.सं. २०६३ माघ महिना के मधेशी जनविद्रोह के दौरान निरंकूश तथा सामन्ती राजतन्त्र को अन्त करके **लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (Democratic Republic)** की स्थापना करके स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय और शान्ति के पक्ष में अभिव्यक्त अग्रगामी राजनीतिक सोच, चिन्तन और आकांक्षाओं को संस्थागत करते हुये उसका संरक्षण एवं सम्वर्द्धन करने का ऐतिहासिक दायित्व आज पूरे देश के समक्ष आ गया हैं ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल राजनितिक न होकर सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि बिषयवस्तओं को समावेश करके राजनीतिक आधार पर भी स्थापित होना चाहिये । लोकतंन्त्र में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामुदायिक, भाषिक, साँस्कृतिक आदि अधिकारों की प्रत्याभूति होनी चाहिये । राष्ट्र अभी समावेशी एवं सहमतिमूलक संविधानसभा के माध्यम से संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल के लिये नया लोकतान्त्रिक संबिधान स्थापना करने के युगान्तकारी अभियान मे जुट गया हैं । विगत २३९ बर्षों से राज्यसत्ता अथवा राज्य–व्यबस्था आन्तरिक उपनिवेशवादी नीति **(Policy of Internal Colonialism)** अपनाकर तराई के आदिवासी थारु सहित सर्म्पूण मधेशी समुदाय के उपर जिस प्रकार से दमन, शोषण, उत्पीडन, उपेक्षा, अन्याय, असमानता जैसी निकृष्ट विभेदकारी कियाकलाप करती आ रही हैं, उसके साथ-साथ ही आन्तरिक उपनिवेशवाद को भी अन्त **(Decolonisation)** करना जरुरी हो गया हैं इसलिये विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, पेशा, वर्ग समुदाय एवं क्षेत्रों से नेपाली जनता के द्वारा विगत में किये गये आन्दोलन और मधेशी समुदाय

द्वारा जनविद्रोह के क्रम में अभिव्यक्त किये गये भावनाओं तथा राजनीतिक, आकांक्षाओं को आत्मसात करते हुये मानव अधिकार, कानूनी शासन, सहमतीय तथा सहभागितामूलक समावेशी लोकतंन्त्र **(Participatory, Consensus and Inclusive Democracy)** के आधारभूत मूल्य एवं मान्यताओं की प्रत्याभूति देने प्रकार की "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" की स्थापना करना अत्याबश्यक हो चुका हैं। इसलिये भौगोलिक, जातीय, भाषिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधता, विशिष्टता एवं समरुपताके साथ-साथ जनसंख्या एवं आर्थिक संभाव्यताओं को भी ध्यान में रखकर क्षेत्रीय स्तर पर राज्य की पुनसंरचना करके आत्मनिर्णय के अधिकार **(Right to Self -Determination)** के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता - **(Regional Autonomy)** समन्वित संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत 'मधेश : स्वायत्त प्रदेश' **(Madhesh: an Autonomous State)** अर्थात् तराईवासियों के लिये स्वायत्त राज्य की स्थापना करके स्थायी शान्ति, विकास, सम्पन्नता एवं समृद्वि प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल संघर्षरत रहता आया है।

मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल का योगदानः- आज हमारा देश एक नये मोड पर खडा है। आगामी चैत्र २८ गते होनेवाला संविधानसभा निर्वाचन से देश के इतिहांस में पहली बार नेपाल की जनता को अपना संविधान अपने हाथ से लिखने का मौका मिलेगा। इस संबिधानसभा का महत्व आजतक के एकात्मवादी एवं केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था के पृष्ठपोषकों की तुलना मे हमारे लिये ज्यादा उल्लेखनीय हैं। खासकर मधेशी समुदाय के लिये राज्य का रुपान्तरण विशेष महत्व की विषयवस्तु होने के कारण संविधानसभा निर्वाचन के सन्दर्भ में हम बहुत जिम्मेवार और गम्भीर रहते आये हैं। इसके साथ ही संविधानसभा वास्तविक रुप से सार्थक हो इस अभिप्राय से भी ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन का नेतृत्व करते हुये संविधानसभा से वननेवाले नये संविधान के लिये मजबूत आधारों की प्रत्याभूति हुई है।

जनआन्दोलन -२ के बाद का सात दलीय गठवन्धन की सरकार राज्य की संरचना और राज्य–व्यबस्था के रुपान्तरण के मुद्दे पर निरुद्देश्य रही थी। संविधान सभा में नेपाल की जनता का समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विषय पर भी उदासीन थी। मधेशी जनअधिकार फोरम के नेतृत्व में संचालित मधेश आन्दोलन ने आधारभूत रुप में देश में रहे राजतन्त्र की समाप्ति और संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र की स्थापना की मांग को राजनीतिक एवं संवैधानिक रुप में स्थापित कराया। प्रादेशिक संघीय संरचना की संवैधानिक व्यवस्था मधेश आन्दोलन की ही उपलब्धि है। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू कराने के लिये हम दृढ हैं। मधेश आन्दोलन के कारण ही निर्वाचन प्रणाली में समानुपातिक की मात्रा में बृद्धि हुई है। संविधानसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होने की हमारी अटल मांग के कारण ही, आंशिक रुप से ही क्यों न हो , मधेश का तथा कुछ अन्य जिलाओ में निर्वाचन क्षेत्र की वृद्वि हुई हैं। संविधानसभा के निर्वाचन में समानुपातिक में पहले रहे २० प्रतिशत की सीमा को ३०. प्रतिशत तक बढाना मधेश आन्दोलन की ठोस उपलब्धि है। इन आधारभूत उपलब्धियों के साथ-साथ नागरिकता समस्याका समाधान, सभी सरकारी सेवा में मधेशी सहित अन्य समुदाय को आरक्षण, नेपाली सेना

में मधेशी युवाओं के सामूहिक प्रवेश की प्रत्याभूति, मुसलमान और थारु समुदाय के पर्व-त्योहारों में सार्वजनिक छुट्टीकी व्यवस्था, जैसी उपलब्धियों मधेशी जनअधिकार फोरम की वलिदानीपूर्ण संघर्ष और स्पष्ट अडान के कारण ही हमने प्राप्त किया हैं । इसलिये मधेश आन्दोलन ने मधेश के लिये ही मात्र नहीं, अपितु देश की ही राज्य–संरचना के रुपान्तरण में तथा सही अर्थ में जनआन्दोलन की भावना को साकार करने में सर्वाधिक योगदान देने के तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता हैं । मधेश आन्दोलन की उपलब्धि को संस्थागत करें:- मधेश आन्दोलन की उपलब्धियों को यदि संस्थागत नहीं किया गया तो देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को भी व्यवहारिक रुप से संरक्षण नहीं कर सकता हैं । वि.स. २०६३ साल के माघ महीने के मधेश आन्दोलन के सार्थक परिणामों को भावी संविधान की आधारभूत मान्यता के रुप में स्वीकार कराने के लिये मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल ने कुछ दिन पहले फाल्गुण १ गते से पुनः दुसरे मधेश आन्दोलन का शंखनाद किया था, जिसके सफल अवतरण के रुप में संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा और नेपाल सरकार के बीच आठ-सूत्रीय सम्झौता सम्पन्न हुआ और हमने भावी राज्य की संरचना के सम्बन्ध में कुछ ठोस तथा आधारभूत संवैधानिक व्यबस्था की प्रत्याभूति को महसूस किया हैं । वास्तव में भावी संविधान में मधेश आन्दोलन की उपलब्धियों को स्पष्ट रुप से उल्लेख करना ही सर्वाधिक महत्व की विषयवस्तु है । जिस दायित्व का निर्वाह करने के लिये मधेशी आन्दोलन में नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करने वाली राजनीतिक दल-मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल के प्रतिनिधियों का संविधान सभा में उल्लेखनीय उपस्थिति होना अत्यावश्यक है । मधेश आन्दोलन की उपलब्धियों को संस्थागत करने का यह एक महत्वपूर्ण पूर्वाधार हैं ।

तराई की एकताः मधेशी के अधिकारों के संरक्षण का पूर्वाधार

नेपाल का मधेश अर्थात तराई::- नेपाल को प्राकृतिक दृष्टिकोण से "हिमाली" वा "उच्च पहाडी" और "मधेश" क्षेत्र में विभाजित किया गया है । उत्तर की ओर "चूरे पर्वत" और दक्षिण की ओर की भारतीय सीमा के वीच पूरव से पश्चिम की ओर फैली हुई समतल भूमि अर्थात गंगा की सहायक नदीयों द्वारा निर्मित भू-भाग ही "तराई" अर्थात "मधेश" है । प्राकृतिक आधार पर तराई क्षेत्र का विस्तार "चूरे" और "महाभारत पर्वत" के बीच रहे "भाँवर" तक है । इस क्षेत्र को "दून" वा "भित्रीमधेश" भी कहते हैं । "भित्रीमधेश" अर्न्तगत शिवालीक अथवा चुरे पहाड के उत्तर की ओर सिन्धुली, उदयपुर का दक्षिणी भाग, मकवानपुर और दाँग जिले में फैले हुये मैदानी क्षेत्र है । नेपाल के प्रचलित प्रशासनिक सन्दर्भ में झापा, मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, वाँके, बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर तराई के जिले हैं । नेपाल में मधेश क्षेत्र को बहुत पहले से समान रुप से "तराई" वा "तलहट्टी" भी कहनेका चलन हैं । सामान्य रुप से "तराई" कहने का अर्थ समतल भूमी होता हैं । नेपाल के "तराई" क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भूमिपुत्रों का इस भूमी से "ऐतिहासिक आवद्धता", "मौलिक सँस्कृति का सम्बन्ध" तथा "पहचान" की सम्वेदनशीलता का अन्योन्याश्रित अन्तरसम्वन्ध की अभिव्यक्ति ही मधेशी समुदाय है । आदिवासी थारु, अल्पसंख्यक मुसलमान सहित मधेश में रहनेवाले सम्पूर्ण मधेशी का समन्वित एकता ही मधेश के अधिकार के संरक्षण का आधार है ।

चुरे भावर के उत्तरी किनारे से दक्षिण तथा भारतीय सीमाना से उत्तर एवं पूरव में मेची से पश्चिम में महाकाली तक के भू-भाग को मधेश प्रादेशिक क्षेत्र अर्थात "मधेश स्वायत्त प्रदेश" घोषणा करके मधेश के भौगोलिक भू-भाग को परिभाषित करके राज्य को स्वीकार करना है । स्वायत्त मधेश प्रदेश अथवा राज्य के भीतर मिथिला, भोजपूर, अवध, थरुहट वा थारुवान जैसा स्वायत्त क्षेत्र (**Autonomous Regions**) तथा जनपदें हो

सकते हैं । तराईवासी का मधेश-मधेशी का तराई :-

आज का मधेश अथवा तराई क्षेत्र की आवास-व्यबस्था तथा यहाँ के मूलवासियों की ऐतिहासिकता एवं सांस्कृतिक परम्परा प्राचीन "जनपदकाल", "साम्राज्यकाल", "राजवंशकाल" और "वाह्य आक्रमणकाल" के दौरान हिमालय इतर के इस सम्पूर्ण भू-खण्ड के प्राचीन आदिवासी–जात–जाति एवं मानव–वस्ती के स्थानान्तरण की प्रमाणिकता को प्रस्तुत करते हैं । "तराई" का वा "मधेश" का कहें अथवा पूरे नेपाल में आज जितनी भी जात-जातियाँ हैं, इस भू-भाग में सवों का आगमन एवं प्रवेश को उपर्युक्त कालखण्ड के घटनाक्रमों ने निर्धारित किया हैं । प्राचीन इतिहास और इतिहास के इसी सन्दर्भ में सम्प्रति "तराई" कहलानेवाला इस भू–खण्ड मे रहने वाले मधेशी समुदाय के हिन्दू, इस्लाम, वौद्व, प्रकृतिपूजक, सिक्ख, जैन, ईसाई तथा किराँत आदि धर्मावलम्वी तथा मैथिली, थारु भोजपुरी अवधी, राजवंशी, सन्धाली, उर्दू, हिन्दी, वंगला, मारवाडी, पंजावी आदि भाषाभाषी लोग सदियो से रहते आये हैं । जात-जाती तथा उपजातियों के निवासस्थान की दृष्टि से देखने पर 'मधेशी समुदाय के सामूहिक पहचान अन्तर्गत की कुछ प्रमुख जात-जातियां इस प्रकार हैं- थारु, राजवंशी, गनगाई, ताजपुरिया, धिमाल, मेचे, कोचे, वोडो, दनुवार, माझी, किसान, मुसलमान, शेख, पठान, कबाडी, धुनियां, हजाम, ब्राम्हण, सन्यासी, राजपुत, भुमिहार, कायस्थ, यादव, वैश्य, वनिया, रौनियार, जयसवाल, केशरी, कशौधन, तेली, सुँडी, कलवार, मारवाडी, हलवाई, कथवनिया, राजधोब, राजभर, कोईरी, कुर्मी, सोनार, बरई, चांई, कैवरथ, मुसहर, वांतर, खतबे, दुसाध (पासवान), पासी, डोम, तत्मा, हलखोर, चिडीमार, चमार, मेहतर, कल्लर, ककहिया, कोरी, खटिक, धोबी, सरबरीया, सरभंग, पत्थरकट्टा, झाँगड (धाँगड), नाई (हजाम), केवट, निषाद, माझी, मल्लाह, कानू, धानुक, लोहार, कहार, कमार, लोध, शिकारी, रस्तोगी, सतबरिया, कुश्मा, मुण्डा, बंगाली, शिख, सतार वा सन्थाल, नट, नौनिया, अमात, कुशवाडीया, माली, कुम्हार, पंडीत, बढई, भर, लोनिया, गडेरी भेडिहर आदि । मधेशियों का सम्मिश्रित समुदाय के रुप में एक अपनी मौलिक भेषभूषा, पहनावा–ओढ्ावा, भाषा–साहित्य, संस्कृति, कला आदि समन्वित विशिष्ट प्राचीन पहचान है ।

मधेशः मधेशी–पहाडी संस्कृति और समुदाय का सम्मिश्रित वासस्थल :- तराई में गैरमधेशी समुदाय के रुप में खासकर "गोरखा राज्य का" "नेपाल के रुप मे" विस्तार होने के समय से ही पहाडी समुदाय के लोग निवास करते आ रहे हैं । तराई क्षेत्र में पहाड से निरन्तर रुप से होते आये आप्रवासन के कारण इस समुदाय की संख्या उल्लेखनीय है । इतिहास के विभिन्न कालखण्ड में मूलतः पहाड से आप्रवासन करके आये पहाडी समुदाय तथा बर्मा, भारत आदि देशों से राजनीतिक कारणों से नेपाल में आकर बसोबास करने के कारण तराई आज एक हद तक "मधेशी और पहाडी समुदाय सम्मिश्रित वासस्थल"

बन चुका है । आज के मधेश की यह वास्तविकता है । इसलिये मधेश की आकांक्षा अनुरुप की नयी राज्यसंरचना में इस मौलिकता को यथास्थान सँसम्मान रखने के मुद्दे पर मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल प्रतिवद्ध है ।

मधेश की मुख्य समस्यायें 'आन्तरिक औपनिवेशिकता' :- नेपाल के कुल भू–भाग का २३ प्रतिशत भूमि तराई अर्थात मधेश मे पड्ता है । प्राकृतिक साधन-श्रोत, नदी-नाला, उर्वरभूमि तथा प्रशस्त श्रमशक्तियुक्त यह प्रदेश वहुत उपजाउ होने के कारण इसको नेपाल का "अन्न भण्डार" भी कहा जाता है । मधेश से देश की कुल आम्दनी का अधिकांश भाग सरकारको प्राप्त होता है । देश मे तुलनात्मक रुप से उद्योग, व्यापार, सडक, यातायात, शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य, सहित की सेवाओं के पूर्वाधारों का विकास हुआ दिखाई देता हैं । संसार भर मे ऐसे पूर्वाधारों के हुये विकास का प्रतिफल वहांके उच्च वर्ग ही प्राप्त करते हैं । इसके विपरीत राज्यक द्वारा किये गये उपेक्षा, विभेद और असमानतापूर्ण नीति के कारण मधेश के मूल निवासी समुदाय अत्यन्त गरीव, उत्पीडित, उपेक्षित, अवहेलित, दरिद्र अशिक्षित और वेरोजगार रहता आया है । मधेश की जनता को राज्य ने विकास के प्रतिफल उपभोग करने से वञ्चित करके रखा है । विगत ५०-६० वर्षों से होते आये विकास की प्रक्रिया और आज तक के वार्षिक मानव–विकास सूचीकांकों से यही तथ्य उजागर होता है । मधेशी लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि प्रकार के शोषण के साथ-साथ राज्यप्रदत्त असमानता, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक आदि दृष्टि से भी शोषण और विभेद के शिकार होते ही आये हैं ।

मधेशियों की अन्य मुख्य समस्याएं :- देश में मधेशी समुदाय का राष्ट्रिय पहचान न होना, समानता का हक तथा अधिकार का अभाव, राज्यसत्ता के साथ-साथ राज्य के नीति-निर्माण और राज्य-प्रशासन में समानुपातिक सहभागिता न होना, एकात्मक एवं केन्द्रीकृत शासनप्रणाली से मुक्ति, नागरिकता की समस्या, कमैया दासत्व के साथ भूमिहीनता की अवस्था, न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थाका अभाव, जातीय तथा लैंगिक विभेद, असमानता, प्राकृतिक श्रोत–साधन, जल, जंगल, जमीन पर स्वामीत्व का अभाव आदि ज्वलन्त समस्याएं हैं–जिनका समाधान अत्यावश्यक है ।

सदीयों तक मधेशी समुदाय को नागरिकताविहीन रखकर राज्य के अवसरों से बंचित किया गया जिसके फलस्वरुप लाखों मधेशी युवा उच्च शिक्षा से वंचित रहा । भारत से पढकर नेपाल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लव्धांक में अंक घटाने की त्रिभुवन विश्वविद्यालय की विभेदकारी नीति ने मधेशी युवाओं को प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धा में आने से वंचित किया । लोक सेवा आयोग में नेपाली भाषा का ज्ञान होना जैसा अनिवार्य शर्त रखकर नियोजित रुप से मधेशी युवाओं को सरकारी नोकरी पाने से वंचित रखा गया । नागरिकता न होने के कारण चुनाव में उम्मीदवार होने से रोका गया । वैदेशिक रोजगार, उद्योग-धन्धा, जमीन की खरीद-विक्री जैसे कारोवार करने से वंचित रखा गया राणाकाल में मधेशी समुदाय के जमीन को अपने भाई-भारदार और कारिन्दों को बकस बीर्ता और जागिर के रुप मे वितरण किया गया । पंचायती शासनकाल में भूमिसुधार वे

नाम पर मधेशियो से कब्जा किये गये जमीन को पहाडियों को देकर मधेशी को भूमिहीन, गरीब और सुकुम्बासी बनाया गया । नियोजित ढंग से सरकार द्वारा आन्तरिक तथा प्रवासी पहाडी समुदाय को मधेश में बसोवास और अप्रवासन कराकर मधेश में ही मधेशियों को अल्पसंख्या में रखने का काम किया गया । जिसके प्रत्यक्ष उदाहरणस्वरुप मधेश के विभिन्न जिलों मे संचालित, जैसे बाँके, बर्दिया, सर्लाही के मूर्तिहा, झापा के कलबलगुडी में संचालित पुनर्वास योजना कार्यक्रम को लिया जा सकता है । जिस बजह से राज्य की राजनीतिक सहभागिता में मधेशी समुदाय पीछे पड चुका है । वनजंगल के विनाश से जनसंख्या, वातावरण और पर्यावरण का सन्तुलन बिगड चुका है । मधेशियों की परम्परागत भेष-भूषा, भाषा-साहित्य, संस्कृति को मान्यता न देकर तथा देश की सांस्कृतिक विविधता को उजागर न कर 'राष्ट्रीय पहचान'को भी कमजोर करने का काम किया गया है । राज्य के "औपनिवेशिक चरित्र" की यही वास्तविकता और वस्तुस्थिति है, जिसे नेपाल के एकात्मवादी शासन-व्यवस्था ने मधेशियों के साथ मूर्त्तता प्रदान किया है, जिसका अन्त होना अत्यावश्यक हो गया है । यही मधेश की मुक्ति है । संविधानसभा से बनने वाले संविधान से ही मधेशी को मुक्ति मिल सकती है ।

राज्य पुनसंरचना सम्वन्धी अवधारणाः-

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल देश में विभेदरहित, समानुपातिक, समावेशीय प्रतिनिधित्व अर्थात् सहभागिता और साझेदारी प्रणाली में आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था के पक्ष में दृढता के साथ आगे बढ् रहा है । देश का विद्यमान राज्य-व्यवस्था का चरित्र और राजनितिक दलों का एकात्मवादी सोच आदि पर विचार करके भावी नेपाल का स्वरुप स्वायत्त एवं अधिकारसम्पन प्रदेशों वाला "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के निर्माण प्रति हमारी अटल आस्था है । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था में सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय के रुप में द्विसदनात्मक संसद रहेगा । विभिन्न प्रदेशों मे जनप्रतिनिधि निकाय के रुप में अपनी-अपनी विधानसभा रहेंगी । देश में स्थानीय स्वशासन अर्थात् स्वायत्त शासन को मजबूत वनाने के लिये राज्य के भीतर अनेक स्वायत्त क्षेत्र और जनपदें निर्वाचित रुप के होंगे ।

गणतन्त्रः- मधेशी जनअधिकार फोरम स्पष्ट रुप से देश में राजतन्त्र का अन्त और गणतन्त्र की स्थापना के पक्ष में होने के दो स्पष्ट कारण है :- (१) नेपाल को एकात्मवादी एवं केन्द्रीकृत राज्य-व्यवस्था से मुक्त करने के लिये राजतन्त्र का अन्त करके गणतन्त्र की स्थापना होनी चाहिये । आजतक देश में राजतन्त्र के कारण राजा का धर्म, भाषा, भेषभूषा और जातीय पहचान को देशभर लादने का ही काम होने के कारण सबसे ज्यादा मधेशी के ही मौलिक पहचान को समाप्त करने का काम हुआ है । इसी कारण हम गणतन्त्र के पक्षधर है, और (२) शासनप्रणाली के सन्दर्भ में हम , देश को कोई भी सार्वजनिक पद किसी व्यक्ति, वंश वा परिवार की बपौती सम्पत्ति न बने, ऐसी मान्यता में हम विश्वास करते है ।

सरकार प्रमुख-कार्यकारी राष्टपति :- नेपाल में वेलायती नमूना का वेस्टमिनिस्टर, प्रधानमंत्रीय शासनप्रणाली पूर्ण रुप से असफल हो चुका है । यह प्रणाली सरकार प्रमुख के रुप में

देश के सभी क्षेत्र, वर्ग जातजाति और भाषाभाषियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है और देश की विद्यमान एकात्मवादी जातीय चिन्तन का ही पृष्ठपोषण करती आई है। इसलिये विकल्प के रुप में हमने देश के शासकीय प्रमुख के रुप में कार्यकारी राष्टपति रहने की व्यवस्था को उपयुक्त समझा है। देश का सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार नेपाल के राष्टपति में निहित रहेगा। राष्ट्रपतिका कार्यकाल ५वर्ष का होगा और दो बार तक ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकते हैं ।

राष्ट्रपति का निर्वाचन वालिग मताधिकार के आधार पर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा से तथा सभी नेपाली के प्रत्यक्ष के मतदान के बहुमत से होगा। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और प्रादेशिक विधायिका के सदस्यों के बहुमत से होगा। राष्टपति संसद बाहर के व्यक्तियों को समावेश करके केन्द्रीय सरकार अर्थात मंत्रीपरिषद् का गठन करेंगे, जो संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। राष्ट्रपति देश में संवैधानिक सर्वोच्चता को आत्मसात करके काम करेंगे। इस आधार पर चुने जाने वाले राष्ट्रपति मात्र देश के मौलिक पहचान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसी संरचना में प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार प्रमुख की इस प्रकार की व्यवस्था से मात्र मधेशी तथा अन्य समुदाय देश के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

द्विसदनात्मक केन्द्रीय संसद :

सविधानसभा से निर्मित संविधान का मूल आधार सम्प्रभू जनता है। सार्वभौमसत्ता और सम्पूर्ण राजकीय सत्ता पूर्ण रुप से जनता में निहित रहेगी। विधायिकी शक्ति **(Legislative Power)** संसद में निहित रहेगी। दो सदन वाली संसद में - जनप्रतिनिधि सभा और राष्ट्रिय वा जातीय सभा रहेगी। जनप्रतिनिधि सभा **(House of Representative)** में सूची पर आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा जनता से निर्वाचित प्रतिनिधि लोग रहेंगे। उसी प्रकार राष्टिय अथवा जातीय सभा में निर्धारित किये जाने वाली संख्या के आधार पर प्रत्येक प्रदेश की विधायिका से निर्वाचित तथा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय क्षेत्र मे उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त कुछ विशिष्ट मनोनीत व्यक्ति सदस्य के रुप मे रहेंगे। राष्ट्रिय सभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करेंगे।

न्यायपालिका :-

न्यायिक शक्ति **(Judicial power)** सर्वोच्च अदालत में अन्तर्निहित रहेगा। देश में संबैधानिक सर्वोच्चता और विधि पर आधारित शासनप्रणाली होगी। सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनता के सार्वभौम अधिकारद्वारा निर्माण होने वाले संविधान की सर्वोच्चता अनुल्लघनीय होगा। सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक अदालत और जिल्ला अदालत न्यायपालिका के ये तीन स्तर रहेंगे।

स्वायत प्रदेश और प्रादेशिक सरकार :-

मधेशी समुदाय शुरु से ही संघीय प्रणाली अन्तर्गत नेपाल की जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा अन्य सारी विविधताओं को आत्मसात कर राष्ट्रीय

पहचानयुक्त ,जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने वाली स्वायत्तशासन की प्रत्याभूति देने वाली प्रान्तीय अर्थात प्रादेशिक सरकार की मांग करता आया है ।

जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को अभी संघीयता के विरोधी लोग विखण्डनवादी के रुप में प्रचार करते देखे गये हैं । नेपाल के सन्दर्भ में आत्मनिर्णय केअधिकार का अर्थ किसी क्षेत्र वा किसी क्षेत्र की उत्पीडित जातियों का अपने अधिकार के लिये संघीय संरचना में अलग प्रदेश गठन करने का अधिकार है, जहाँ की जनता के प्रतिनिधि लोग संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप निर्माण किये गये विधान और कानून अनुसार पूर्ण स्वायत्तता और समानता के आधार पर खुद ही सत्ता संचालन करने की व्यवस्था होती है । प्रदेश के निर्वाचित विधायकों का स्पष्ट कार्यक्षेत्र तथा अधिकारसहित की विधानसभा अर्थात विधायिका होगी । विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वालिग मताधिकार के आधार पर समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अनुरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर होगा । प्रादेशिक सरकार के कार्यकारिणी प्रमुख का निर्वाचन जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जायेगा । प्रादेशिक सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी ।

मधेश मधेशी समुदाय का अपना प्रदेश :-

मधेशी जिस औपनिवेशिकता को भोगते आ रह है उसका अन्त कर संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करना ही संविधान सभा में हमारी मुख्य जिम्मेवारी रहेगी । इसलिये आसन्न संविधानसभा से बननेवाला संविधान मधेश को आन्तरिक औपनिवेशिकता से मुक्त करता है या नहीं ? यही राज्य की पुनर्संरचना का प्रश्न हमारे लिये गम्भीर सरोकार की विषयवस्तु है । राज्य की पुनर्संरचना के सन्दर्भ मे हम मधेश को एक एकतावद्ध स्वायत्त राजनीतिक प्रशासनिक प्रदेश के रुप में रखने के पक्ष में हैं ।

अभी मधेश में एकात्मवादी राज्यव्यवस्था की पुरानी कार्यनीति "फूट डालो और राज्य करो" **(Divide and Rule)** को पुनः कार्यान्वित करने का काम हो रहा है । एकीकृत मधेश अर्थात तराई के सवाल पर कुछ भ्रान्तियां फैलाई जा रही है । विभाजित तराई अर्थात मधेश से मधेश की मूल समस्या का समाधान न होने पर किस पक्ष के राजनीतिक स्वार्थ का पोषण होगा ? उस मुद्दे पर मधेशी समुदायको विचार करना जरुरी है । हमारे विचार से "एकीकृत तराई–मधेश राज्य" के भितर हम प्रचलित राज्य प्रणाली की आन्तरिक औपनिवेशिकता से मुक्त हो सकते है । अभी मधेश की जनसंख्या के वदले तस्वीर को देखने पर विखण्डित मधेश के किसी भी प्रदेश में भविष्य में मधेशी समुदाय का राजनितिक वर्चस्व वा राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्णायक स्थान नहीं रहेगा । आज नियोजित सोच के साथ मधेश में कोचिला, मिथिला, भोजपुर, अवध, थारुवान, थरुहट, जो भी नामाकरण करके मधेशी समुदाय को तत्काल के लिये भ्रमित किया जाये मगर यथार्थ यह है की उस प्रकार की कल्पनावाला राज्य गैरमधेशी शासक वर्ग के नियन्त्रण और निर्णायक प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता है ।

मधेश को विखण्डित करने के नियोजित सोच से अग्रसरित किये गये एसे प्रदेशों की अवतक जो सीमा और क्षेत्र दिखाये गये हैं, उस पर विचार करने से उसमे से किसी में भी आदिवासी थारु सहित मधेश की जनजातियां, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान इनमें

से किसी भी मधेशी समुदाय का वहुमत नहीं रह सकता है । जिसके दुष्परिणामस्वरुप आजतक एक ही भौगोलिक क्षेत्र, समान लोक संस्कृति, जातीय-सामाजिक सहकार्य, समानभाषिक परिवार, समान आर्थिक उद्यम, अन्तरसम्वन्धित वजार, अन्तर आवद्ध यातायात सम्पर्क जैसी मधेश की अन्तरनिर्भरता की स्वाभाविकता खण्डित हो सकती हैं । जिससे स्पष्ट रुप से मधेश की शक्ति का क्षय हो सकता है और मधेश को मुक्ति नहीं दे सकता हैं । इस तथ्य पर विचार करके संविधान सभा के अवसर पर स्वायत्त मधेश के लिये मधेशी समुदाय बीच वृहद् क्षेत्रीय एकता के निर्माण करने के लिये बिचार-विमर्श करना परम आवश्यक हो गया है ।

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल ने "मधेश प्रदेश" की मांग रखते वक्त "मधेशी जातीय राज्य" की सोच नहीं रखा है । क्षेत्रीय आधार पर मधेश प्रदेश के गठन पर जोड दिया है । जैसे हम सत्ता के सर्वोच्च निकाय, केन्द्र की संसद, केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रणाली के सभी अंग और निकायों में देश के मधेशी, आदिवासी, थारु, जातजातियां, भाषा-भाषी, महिला, दलित, उपेक्षित-उत्पीडित, अल्पसंख्यक मुसलमान तथा सभी क्षेत्र के नागरिकों का पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण की माग करतें हैं, उसी प्रकार हम ने जिस "मधेश राज्य" वा मधेश प्रदेश मे राज्य वा प्रदेश में रहने वाले आदिवासी थारु, पहाडी समुदाय, सभी जातजातियाँ, जनजाती, भाषा-भाषी, महिला, दलित, उपेक्षित-उत्पीडित, अल्पसंख्यक मुसलमान आदि सभी वर्ग एवं समुदाय को राज्य वा प्रदेश के सभी निकायों में विना भेदभाव के समानुपातिक समावेशी होने की विषयवस्तु पर दृढ विश्वास रखा हैं ।

शक्तिका पृथक्कीकरण **(Decentralization of Power)** :- संवैधानिक सर्वोच्चता के प्रति प्रतिवद्ध राष्ट्रपतीय नेतृत्व वाली कार्यपालिका, स्पष्ट विधायकीय दायित्व की व्यवस्थापिका और स्वतन्त्र न्यायपालिका शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धान्त अनुरुप राज्य शक्ति का संन्तुलित ढंग से सन्चालन करेगी ।

केन्द्र और प्रदेश का कार्यक्षेत्र :- प्रस्तावित प्रदेश संरचना सम्वन्धी अवधारणा स्पष्ट रुप से संविधान अनुसार केन्द्र और प्रदेश के क्षेत्राधिकार तथा कार्यक्षत्रों को स्पष्ट करते हुये रखा जायेगा । इस अवधारणा के अनुसार कुछ मामले पूर्ण रुपसे केन्द्र के अधीन रहेंगे और कुछ मामलें पर आंशिक नियन्त्रण रहेगा । केन्द्र को नीतिगत तथा केन्द्रीय सरकार की विषयवस्तु की जिम्मेवारी रहेगी और उसके अतिरिक्त कार्यमूलक जिम्मेदारीयां प्रदेश के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत रहेंगे । केन्द्रीय सरकार की विषयों में राष्ट्रिय सुरक्षा, पररराष्ट्र, मुद्रा, विदेश नीति, आर्थिक नीति जैसी चीजें केन्द्र में और उसके अतिरिक्त के सारे अधिकार प्रदेश अथवा राज्य **(state)** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होंगे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली अन्तरगत प्रदेश वा राज्य स्वायत्त और अधिकार सम्पन्न होंगे । प्रत्येक प्रदेश की अपनी प्रादेशिक विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होंगी । सूचना और संचार से सम्वन्धित विषय केन्द्र और प्रदेशके बीच निर्धारित नीति एवं समझदारी अनुरुप होंगे । प्रदेशों के स्वायत्त अधिकार के क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेश भीतर की आन्तरिक सुरक्षा , प्रशासन, शिक्षा, संस्कृति, श्रोत-व्यवस्थापन, व्यापार, कृषि, उद्योग, भूपरिवहन, आवास तथा निर्माण,

प्राकृतिक साधन और जनस्वास्थ्य आदि विषय होंगे । इन विषयों मे किसी विषय पर केन्द्रीय संसद द्वारा अनूमोदन हो जाने के वाद ही केन्द्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है । प्रदेश के अधिकारक्षेत्र के सूचीवद्ध विषयों पर प्रदेश विशेष की सरकार के सिफारिश पर वहां की विधायिका द्वारा अनुमोदन होने पर केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष सहयोग कर सकती है । संविधान और ऐन-कानून में भी यदि किसी विषय के बीच सम्वन्ध में स्पष्ट व्यवस्था न होने की अवस्था मे केन्द्र और प्रदेश के बीच विवाद होने पर उसका समाधान सर्वोच्च अदालत द्वारा होने का प्रावधान रखना स्वाभाविक होगा ।

अन्तर प्रदेश और केन्द्र प्रदेश के बीच श्रोत-साधन को लेकर उठने वाले विवाद भी प्रमुख विषय वन सकते हैं । वैसी अवस्था में पहला अधिकार उस स्थान का होगा, जहां वह श्रोत रहेगा । लेकिन श्रोत को उपयोग करने के उपाय तथा अधिकतम् उपयोग के लिय विशेषज्ञों की सेवा और प्राविधिक सहयोग का संयोजन करने और करा देने वाले पक्ष भी लाभ उठाना चाहेगा । इसलिये प्रदेश के श्रोत साधनों पर पहला अधिकार सम्वद्ध प्रदेश का होने पर भी केन्द्र भी लाभ उठा सकता है । श्रोत की प्रकृति देखकर केन्द्र और प्रदेश के बीच की समझदारी के आधार पर नीति निर्माण किया जा सकता हैं ।

देश के जलश्रोत के उपयोग के सम्वन्ध में देश के अन्दर प्रादेशिक लाभ प्राप्त करने की सुनिश्चितता संविधान की व्यवस्था अनुसार होंगा । उसी प्रकार पडोसी देशों से जलश्रोत के उपयोग सम्वन्धी सन्धि-सम्झौता होने पर - वा वहुपक्षीय उपयोग की संन्धी-सम्झौता होने पर अधिकतम लाभ का भागीदार प्रत्यक्ष रुप से प्राथमिक सम्वन्धीत राज्य वा प्रदेश का होने के विषय में संवैधानिक प्रत्याभूति होनी चाहिये । उपयुक्त विषयों को स्पष्ट और व्यवस्थित करने के लिय केन्द्र और प्रदेश के अधिकार तथा कार्यक्षेत्रों की पृथक-पृथक सूची होनी चाहिये । उसी प्रकार केन्द्र और प्रदेश के अधिकार तथा कार्यक्षेत्रों की भी साझी सूची होनी चाहिये ।

धर्मनिरपेक्षता की मान्यताः-

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल धर्म निरपेक्षता का पक्षपाती हैं । मधेश की सामाजिक संरचना हिन्दु वहुल होने पर भी यथार्थ में वह वहु धार्मिक प्रकृति की है । ईस्लाम धर्म मधेशका अभिन्न भाग हैं तथा सभी मधेशियों के लिए समान महत्वका धर्म है । आजतक देश में हिन्दूधर्म के संरक्षण के नाम पर दरवार की राजनीतिक एकात्मकवादी चिन्तनको पोषण करने का काम होते आने की वजह से नेपाल हिन्दु राष्ट्र कहलाना विवाद का विषय हो जाता है । इसलिये धार्मिक रुपसे नेपाल को सभी धर्मालम्वियों के धार्मिक स्वतन्त्रता का राष्ट्र अर्थात् धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहना पडेगा ।

आधारभूत मानव अधिकार

सार्थक लोकतन्त्र के लिये बन्धनमुक्त प्रेस स्वतन्त्रता, विश्वमान्य मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, सभी प्रकार के विभेदों का अन्त, जातीय उत्पीडन तथा आर्थिक शोषण का उन्मूलन, सामाजिक न्यायपूर्ण समतामूलक समाजका निर्माण, मधेशी सहित सभी समुदायों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास जैसी आधारभूत मानव अधिकार की संवैधानिक तथा व्याबहारीक प्रत्याभूति, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रकिया,

कानूनी राज्य, निष्पक्ष एवं स्वस्थ्य, न्यायपालिका का विकास, राष्ट्रिय समुदायों की पहचान तथा सम्मान की अभिवृद्धि, वौद्धिक समानता के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रतिस्थापित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का सुनिश्चितता आज के सभ्य समाज के लिये आवश्यक होने के कारण भावी संबिधान में उन विषयों की प्रत्याभूति होनी चाहिये, यह हमारी दृढ़ोक्ति हैं ।

दलित अग्राधिकारः-

बर्णाश्रम की असमानता, तिरस्कार, छुआछूत, राजनीतिक-आर्थिक उपेक्षा तथा उत्पीडन से ग्रस्त दलित समुदाय देश का एक मुख्य समुदाय है । मधेशी दलित समुदाय मधेश का एक अभिन्न अंग हैं, जो मधेश के किसी एक भाग में क्षेत्र में सीमित न होकर पूरे मधेश में फैला हुआ हैं । विखण्डित मधेश में इस समुदाय को जनसंख्या के आधार पर राज्य वा प्रदेश की शक्ति के अभ्यास के क्रम में न्यायोचित रुप से शरीक वा प्रतिनिधित्व नही हो सकता हैं । दलित समुदाय के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा आदि में आरक्षण और सहभागिता से भी अधिक महत्वपूर्ण विषय "राज्य के नीति-निर्धारण करने वाली निकायों में जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक सहभागिता कराना हैं" इसलिये अल्पसंख्या में छिटफुट रुप से रहनेवाले दलित लोगों का केन्द्रीय संसद वा प्रादेशिक विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने की क्षीण संभावना है । इसलिये केन्द्रीय संसद वा प्रादेशिक विधानसभा के कुल सीट में दलित समुदाय की कुल जनसंख्या के आधार पर जितने प्रतिशत सीट हो सकता हैं, उतनी संख्या में केन्द्रीय संसद वा प्रादेशिक विधानसभा की सीट उस निकाय के निर्वाचन मे दलित समुदाय के लिये आरक्षित होना चाहिये । आरक्षित सीटका का निर्धारण दलितों की आवादी के आधार पर करके वैसे आरक्षित सीट पर दलित समुदाय वाले को मात्र उम्मेदवारी देने की व्यबस्था होनी चाहिये । इसके साथ ही उस समुदाय को क्षतिपूर्तिस्वरुप सामाजिक न्याय के आधारपर राज्य की ओर से सुविधा और सभी निकायों में समानता युक्त आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये । सकारात्मक बिभेद की नीति के तहत 'आरक्षण' वैसे उपेक्षित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक समुदाय को राज्य में सहभागिता कराना एक व्यावहारिक उपाय है, ऐसी हमारी स्पष्ट धारणा है ।

अल्पसंख्यक मुसलमान का अग्राधिकार :-

अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय मधेश और मधेशी समुदाय का ही अविभाज्य एवं अभिन्न अंग होने के कारण देश के शासकों द्वारा आज तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि दृष्टि से उपेक्षित, शोषित, पीडित, अवहेलित रहता आया है । अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय अपनी जीवन-पद्धति, सामाजिक परिवेश, अपनी पारस्परिक सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता का निर्वाह कर सके, उस पर कहीं से कोई हस्तक्षेप न हो ऐसी हमारी दृढ मान्यता है । यह समुदाय भी किसी एक क्षेत्र में सीमित न रहकर पूरे मधेश में सदीयों से छिट-फुट रुपसे समाज का अविच्छिन्न अंग वनकर रहता आया है । इसलिये विखण्डित मधेश में इस समुदाय का भी जनसंख्या के आधार पर केन्द्र तथा राज्य वा प्रदेश में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है । मुसलमान समुदाय को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा आदि में आरक्षण और सहभागिता कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय केन्द्र और राज्य के नीति-निर्धारक निकायों में जनसंख्या के आधार पर सहभागिता

कराना हैं । इसलिये पूरे फैल कर रहनेवाले मुसलमान समुदाय को भी उस समुदाय की कुल जनसंख्या के आधार पर जितने प्रतिशत सीट आवंटित हो सकता है उतनी ही संख्या मे केन्द्रीय संसद और प्रादेशिक बिधानसभा में उस समुदाय के लिये सीट आरक्षित करके उस अनुपात में उसी समुदाय को भी सकारात्मक नीति अनुरुप केन्द्र और राज्य की सभी निकायों में सहभागिता कराना जरुरी है ।

महिलाविरूद्ध के विभेदों का अन्त :-

महिला के प्रति विभिन्न क्षेत्रों में होते आये विभेद और असमानता का अन्त कर यौनजन्य दुर्व्यवहार, हिंसा तथा शोषण से उनलोगों को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त कानूनी व्यबस्था होनी चाहिये । विद्यमान परम्परागत सामन्तवादी चिन्तन, विभेद और असमानता की नीति को अन्त करके महिलाओं का सशक्तिकरण करके उनलोगों को राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निर्वाह कर सकने की परिस्थितिका का निर्माण होना चाहिये । महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सैनिक कुटनीतिक, आदि क्षेत्रों में पुरुषों की तरह समान अवसर प्रदान करने की संवैधानिक प्रत्याभूति होनी चाहिये ।

सार्थक जनगणना :-

नेपाल में मधेशियों की वास्तविक और यथार्थ संख्याको न्यून दिखाने के लिये आजतक की जनगणनाओं में मधेशी समुदाय को जातीय, भाषिक तथा अन्य वास्तविक अवस्थाओं को सही रुप में नही प्रस्तुत किया गया है । राज्य की प्रारम्भिक अवस्था से ही आदिवासी के रुप में रहते आये मधेशी समुदाय के सम्बन्ध में गलत और भ्रामक ढंग से प्रचार–प्रसार करने का काम सरकार की ओर से होता आया हैं । मधेश के यथार्थ विवरण को तोड़-मरोड़कर उसी अनुसार की विवरणिका और फार्म बनाकर मधेश क्षेत्र की जनसंख्या सम्बन्ध में सरकार चालवाजी **(Population manipulation)** करती आयी है । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली को सार्थक बनाने के लिये सहीऔर तथ्यपरक जनगणना होना ही चाहिये । इसलिये हम देश के नये संविधान बनने से पूर्व ही देश की जनसंख्या का क्षेत्रगत यथार्थ और बस्तुस्थितिपरक जनगणना कराने के पक्षपाती हैं ।

अल्पसंख्यक के अधिकार :-

वाल–वालिका के स्वास्थ्य तथा आधारभूत शिक्षा के अधिकार की प्रत्याभूति कराने का पूर्णदायित्व राज्य का होना चाहिये । उनलोगों पर होते आये आर्थिक शोषण, वालश्रम-शोषण, वाल-वेश्यावृति आदि का अन्त करके उनलोगों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक विकास जैसे जीवन के अधिकारों की सुनिश्चितता के साथ ही सशस्त्र द्वन्द्व की पीड़ा से मुक्त कराना चाहिये ।

संविधान में जनमत संग्रह की व्यबस्था :-

राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये संविधान में जनमत संग्रह का प्रावधान होना चाहिये । जनमत संग्रह के द्वारा ही राष्ट्रीय महत्व के विषयों के सम्बन्ध में निर्णय करने की व्यबस्था होनी चाहिये ।

भाषिक अधिकार :-

सरकारी कामकाज तथा शिक्षा में त्रिभाषीय नीति अन्तर्गत– (क) मातृभाषा (ख) नेपाली और हिन्दी तथा (ग) अंग्रेजी भाषा को राष्ट्र के काम-काज की भाषा के रुप में संवैधानिक व्यबस्था होनी चाहिये । प्रत्येक स्वायत्त प्रदेशों को अपने-अपने क्षेत्र की समृद्ध भाषाओं को सरकारी काम-काज की भाषा के साथ शिक्षा के माध्यम के रुप में प्रयोग करने और मान्यता देने का अधिकार होना चाहिये ।

श्रमिक/मजदूर अधिकार :-

नेपाल की श्रमजीवी जनता को आधारभूत श्रम अधिकार, मर्यादित सामाजिक सुरक्षा और न्याय की प्रत्याभूति राज्यद्वारा उपलब्ध कराने की संवैधानिक व्यबस्था होनी चाहिये ।

जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण :-

वातावरणीय प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर जीवन और प्रकृति के बीच का सन्तुलन विगड़ता ही जा रहा है । इसलिये राज्य को पानी, जंगल और जमीन के विनाश को रोकने का प्रयत्न करके पानी, वायु, भूमि, ध्वनि, तथा अन्तरिक्ष को प्रदूषण से मुक्त करने का प्रयास करने के साथ जैविक विविधता के लिये वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देकर प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखने की ओर ध्यान देना चाहिये । मधेश की उर्बरा भूमि की रक्षा, बाढ नियन्त्रण, भू-क्षय, वन-विनाश जैसे कार्यों का नियन्त्रण करके चुरे तथा महाभारत क्षेत्र के जंगल, नदी और जमीन का संरक्षण एवं व्यवस्थापन करने का दायित्व राज्य पर होना चाहिये । चुरे तथा महाभारत क्षेत्र के अतिरिक्त मधेश के अन्य भागों में भी होते आ रहे वन-विनाश को रोककर तुरन्त अपेक्षित मात्रा में वृक्षारोपण करके वन-जंगल विस्तार कार्य की ओर ध्यान देना चाहिये ।

समावेशी और सहभागितापूर्ण सुरक्षा निकाय :-

राष्ट्र की विद्यमान संरचना और स्वरुप एकाङ्गी तथा चरित्र एवं क्रियाकलाप विभेदकारी होने के कारण यह देश तो हमारा है लेकिन राज्य हमारा नहीं है, ईस प्रकार की भावना मधेशी आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला आदि समुदाय में होना विल्कुल स्वाभाविक है । राज्य की संरचना में सेना का स्थान कैसा होना चहिये ? यह प्रश्न भी अभी व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है । नेपाल की भू-राजनीतिक अवस्था के सन्दर्भ में व्यावसायिक सेना का कितना औचित्य है ? आवश्यक महशुस होने पर भी सेना का स्वरुप और आकार कैसा होना चहिये ? वर्तमान सैनिक संरचना तथा इसका विद्यमान स्वरुप और आकार देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिये कितना औचित्यपूर्ण है ? लोकतन्त्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के विषय से सेना को जोड़कर रखना कितना उपयुक्त है ? सेना के परिचालन, व्यवस्थापन और नियन्त्रण की पद्धति को कैसे उत्तरदायी बनाना हैं ? ये सारे गम्भीर मुद्दे हैं । इन सब विषयों पर ध्यान देकर सबसे पहले एक निश्चित समय-सीमा का आकलन कर देश के सामाजिक, भौगोलिक, भाषिक, साँस्कृतिक आदि प्रकृति तथा प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर दोनों प्रहरी संगठनों और नेपाली सेना के स्वरुप में आमूल रुपान्तरण करने की आवश्यकता हैं । सहभागिता की दृष्टि से सेना का राष्ट्रीय स्वरुप समावेशी होना ही चाहिये । उसका आकार छोटा होना चाहिये और परिचालन तथा नियन्त्रण कार्यपालिका (केन्द्र तथा राज्य दोनों का) द्वारा होना चाहिये ।

कुछ ही समय पूर्व मधेश आन्दोलन के क्रम में नेपाल सरकार के साथ हुई सम्झौता में अब नेपाली सेना में मधेशी समुदाय से सामूहिक प्रवेश कराने की सरकारी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है । इस प्रसंग को हल्के राजनीतिक मुद्दा के रुप में मात्र न लेकर इसे राज्यसत्ता में सबों की पहुँच बनाने और बढाने के सार्थक और सकारात्मक प्रयास के रुप में लेकर तद्नुरुप कार्यान्वित करने की जरुरत है । इससे पहले पूर्वाग्रह के तहत मधेशीमूल के नागरिक को सेना में सहज प्रवेश को प्रोत्साहित न करने की मानसिकता एवं अवस्था को अब अन्त करना जरुरी है । नेपाली सेना में मधेशी समुदाय को विना किसी भेदभाव के स्वाभाविक रुप से कराने की व्यवस्था करना राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की दृष्टि से भी अनिवार्य हो चुका है ।

मधेश के सशस्त्र विद्रोही पक्ष से सार्थक शान्तिवार्ता :-

मधेश में अभी भी सशस्त्र द्वन्द्व जारी हैं । मधेशी सशस्त्र विद्रोहियों की जायज मागों को सम्बोधन करके द्वन्द्व समाधान करने के रास्ते को अख्तियार करने के लिये हम सरकार को बरावर दबाब देते ही आये है । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा और नेपाल सरकार के बीच हुई आठ-बुँदे सम्झौता में भी इस समस्या के समाधान के लिये ससम्मान वार्ता करने की सहमति हुई है । लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल न होना दुःख की बात है । मधेश में सशस्त्र द्वन्द्व कायम रखकर देश में शान्ति नहीं हो सकता है । इसलिए मधेश के सशस्त्र-विद्रोही पक्षों से वार्ता को फलदायी बनाने के लिये विस्तृत शान्ति-सम्झौता का प्रारुप तैयार करके उनलोगों के ऊपर लगाये गये सभी मुद्दों को खारेज करने, सभी बन्दियों को मुक्त करने, रेड-कर्नर नोटिस वापस लेने, सशस्त्र विद्रोही सेना के व्यवस्थापन की जिम्मेवारी लेने जैसे पूर्वाधारों को बनाकर तत्काल वार्ता शुरु करना जरुरी है ।

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल राज्यसत्ता की ओर से किये गये विभेद, भेदभाव, सीमान्तकृत **(Marginalised)** तथा वहिष्कृत **(Excluded and Under Priviledged)** सभी समुदायों के साथ मिलकर व्यापक राजनीतिक संगठन निर्माण करने तथा उनलोगों के साथ सहकार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर तथा प्रयत्नशील रहेगा । उस प्रकार के व्यापक संगठन के निर्माण होने पर सदीयों से शक्ति और सुविधासम्पन्न **(Most Priviledged)** रहते आये जाति, वर्ग और समुदाय विशेष का प्रभुत्व तथा एकाधिकार समाप्त होकर स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व और सामाजिक न्याय की अवस्था स्थापित हो सकेगी, जिससे नेपाल में दीर्घकाल से रहते आये विद्रोह और विग्रह की स्थिति का अन्त होकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता की भावना प्रगाढ होकर शान्ति, प्रगतिशील सम्पन्न और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा । फलस्वरुप, राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में स्थायित्व की प्रगाढ़ता बढती जायेगी और सुखी एवं सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण होगा । इतना ही नहीं समुन्नत और प्रगतिशील नेपाल के निर्माण के साथ ही राष्ट्र के जनजीवन को दीर्घकालीन शान्ति और प्रसन्नता प्रदान करने का यह सबसे उत्तम विकल्प भी है ।

अन्त में, वि.सं. २०६३ चैत्र महीने के जनआन्दोलन-२ मार्फत मधेशी समुदाय ने भी शताब्दिओं से होते आये विभेदों से मुक्ति पाने की अपेक्षा की थी, लेकिन उस आन्दोलन के परिणामस्वरुप पुनर्स्थापित संसद के पश्चात् की राजनीतिक घटनाक्रम ने भी मधेसी समुदाय की राजनीतिक अपेक्षा एवं आत्मसम्मान के प्रश्नों पर बिचार नहीं किया । उसी क्रम में बने नेपाल के अन्तरिम संविधान, २०६३ ने भी मधेशी के प्रश्नों की पूर्ण उपेक्षा की । फलस्वरुप वि.सं. २०६३ माघ महीने में मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल के आह्वान पर सम्पूर्ण मधेशी समुदाय ने मिलकर ऐतिहासिक जनविद्रोह में शरीक होकर देश में आमूल परिवर्तन की प्रत्याभूति के लिये भावी राज्यव्यवस्था संघीय प्रणाली पर आधारित होने की सुनिश्चितता के लिये और संविधानसभा में मधेशी समुदाय के न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के लिये अविस्मरणीय बलिदानी दी । दो बार के उस महान् आन्दोलन में ५३ वीर मधेशी सपूत शहीद हुये । वीर मधेशी समुदाय की बलिदानी के पश्चात् सात दल की सरकार मधेश के राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए वाध्य हुई और २०६४ फागुन १६ गते के दिन आठ बुँदे सम्झौता सम्पन्न हुआ । अब उस महान् ऐतिहासिक आन्दोलन की उपलब्धियों को संस्थागत करने के लिये मधेशी राजनीतिक क्षमता का विकास एक राजनीतिक दल के रुप में करके ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन के मार्फत अभिव्यक्त मधेश की जनचाहना अनुसार स्वायत्त मधेश प्रदेश का निर्माण तथा मधेश की मुक्ति के लिये आगामी चैत्र २८ गते होने वाले संविधानसभा निर्वाचन के सन्दर्भ में इस घोषणपत्र के रुप में मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल के राजनीतिक मुद्दों और प्रतिवद्धताओं को संक्षिप्त रुप में सार्वजनिक किया गया है । हम इस बात पर ज्यादा जोड देना चाहते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य विकास के स्वरुप **(Model)** को निर्धारण करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नये संविधान का निर्माण कर राजनीतिक समस्या को समाधान करने पर केन्द्रित है । इसके बाद नये राज्य संरचना अनुसार गठन होने वाली जनप्रतिनिधि सरकार विकास के स्वरुप पर निर्णायक भूमिका निर्वाह करेगी ।

संविधानसभा के आगामी निर्वाचन में मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल की इस घोषणापत्र को हार्दिकता से अनुमोदन कर **हल्के नीले रंगवाले** और दूसरे **हल्के गुलाबी रंगवाले** दोनों मतमत्र पर रहनेवाले **"हाथ में जलता मशाल चुनाव चिन्ह"** पर अपना मत देकर फोरम के सभी उम्मीदवारों को अत्यधिक मतों से विजयी बनाने के लिये देश के सभी मतदाताओं से हार्दिक आग्रह करते हैं ।

धन्यवाद !

जय मधेश ! जय देश !!.

वि.सं. २०६४ चैत्र २ गते

निवेदक

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल